*International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*
*ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714*
*www.ijhssi.org ||Volume 4 Issue 1 || January 2015 || PP 58-62*

# मानवाधिकार : संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

डॉ. शान्ती स्वरूप
*समाजशास्त्र विभाग*
*एस.एम. कॉलेज चन्दौसी*

***सारांश***
*मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह समाज में रहकर ही अपना वैयक्तिक विकास करता है। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति को विकसित होने में सभी सुविधाएं जुटाना और उसके विकास में सहयोग देना। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है इसलिए राज्य, विद्यालय तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास में कोई कमी न आने दें। मनुष्य के विकास के लिए उचित वातावरण की स्थापनाा करना राज्य एवं समाज का ही कर्तव्य है। वर्तमान समाज अर्थवाद का दास सा बनता जा रहा है। जहां सम्पत्ति संग्रह की अनिसमितता से अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद से सत्तावाद तथा सत्तावाद से सम्मपत्ति , विलासतावाद व भोगवाद की ओर बढ. रहा है। वहां पर आदर्शात्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई महत्व नहीं है। महिलाओं के अधिकारों के हनन के विविध तरीके है। अधिकांश व्यक्ति इन अधिकारों को नहीं जानते मानव समाज के बीच समानता का सिद्वान्त सीमित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के के प्रति जागरूक रहें।*

**प्रस्तावना**

जब मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसका यह अधिकार बनता है कि वह अपना सांसारिक जीवन संतोष, सुरक्षा और आनन्दपूर्वक बिताये। समाज और सरकार उसे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करे और उसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करें जिससे मनुष्य अपना जीवन स्वतंत्रता से और सुरक्षापूर्वक जी सकें। मानव को प्राप्त होने वाले यह अधिकार ही मानवाधिकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवाधिकार उन अधिकारों या स्थितियों को कहते हैं जो मानवोचित जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इससे तात्पर्य मनुष्य के अधिकारों से है। यह अधिकार मानव की प्रकृति में निहित हैं।

मानवाधिकार कोई नई अवधारणा नहीं है। इसकी जड़ें अतीत की गहराईयों में छिपी हैं। वैदिक युग में भी मानवाधिकारों का अस्तित्व था। वैदिक काल में ही –

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुख भागवेत।।''

जैसी भावना वर्णित की गई है तथा शास्त्रों में ''अति सर्वत्र वर्ज्यते'' का उल्लेख है। दार्शनिक प्लेटो, रूसों, लास्की तथा अन्य दार्शनिकों ने अपने कृतियों में मानवाधिकारों को स्थान दिया है।

आज मानव अधिकार इतने व्यापक हो गये हैं कि हर व्यक्ति इनके प्रति जागरूक है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया है। समाज का विकास जैसे–जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, समाज के विकास के साथ–साथ मानवाधिकार हनन की घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। मानवाधिकार हनन की घटनाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग तथा प्रशासन आयोग के पास पुलिस एवं सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की पहुँचती हैं।

मानवाधिकार हनन की बढ़ती घटनाओं के लिए मात्र पुलिस ही दोषी नहीं है जनता भी बराबर की दोषी है। निर्दोष व्यक्ति के पक्ष में आज सभ्य समाज भी खड़ा होने से कतराता है। डेनियल डेको का यह कथन है कि ''हर तरफ से समाज सभी लोगों की आवाज है कि अपराधी को सजा दी जाए लेनिक शायद ही किसी को चिन्ता हो कि निर्दोष को सजा न मिले'' अक्षरशः सत्य है। यही कारण है हनन काफी तेजी से बढ़ रहा हैं हम जितनी अधिक तेजी से विकास कर रहे हैं मानवीय सम्बन्धों एवं आदर्शो की डोर उतनी ही नाजुक होती जा रही है। विकास की अंधी दौड़, वर्चस्व की होड़, अस्तित्व कायम करने की महत्वाकांक्षा ने हनन की भावना को गौण कर दिया है। 'जस्टिस कृष्ण अय्यर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि –''सभ्यता के विकास के क्रम में आज मानवाधिकारों को बहुत ऊँचे स्तर की मान्यता मिली हुई है, परन्तु यह भी सत्य हैं कि ऐसे मनुष्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो अधिकारों से वंचित हैं। चारों और खून, खराबा, हिंसा, लूट–खसोट और अराजकता ने मानव की मानवता छीन ली है। मानव की अमानवीयता कई रूपों में दिन–प्रतिदिन देखने को मिलती है।''

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्य पूर्ण विकास में योग देती है। व्यक्ति की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है, उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है। जो समाज देश और विश्व के लिए हितकर होता है। अतः शिक्षा द्वारा ही समाज को मानवाधिकार के बारे में जागरूक किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि स्कूलों एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध किया जाये। शिक्षा

व्यवस्था में मानवाधिकार को सम्मिलित कर छात्र–छात्राओं को इसके विषय में जागरूक किया जा सकता है क्योंकि छात्र–छात्राएँ ही समाज के भावी कर्णधार हैं।

हालांकि हमारे संविधान के भाग–3 और भाग–4 को दिये गये मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाले अधिकार व कर्तव्य वर्णित है। इन मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में डॉ0 राधाकृष्ण ने कहा था कि ''ये हमारे अपने लोगों के प्रति वचनबद्धता और सभ्य संसार के प्रति मित्रता का द्योतक है। ये हमारे देश में संविधान द्वारा शुरू हुई जनतांत्रिक जीवन पद्धति की आधारशिला है।'' अतः आज आवश्यकता है कि इन्सान को हर तरह की बुनियादी आजादी होनी चाहिए। और इस आजादी की रक्षा होनी चाहिए। सभी सरकारों सभी विभागों और सभी इन्सानों का कर्तव्य हैं कि इन मानवाधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि सम्पूर्ण मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा उनके अविछिन्न अधिकारों की स्वीकृति और पालन ही विश्व न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद ळें

**मानवाधिकार की संकल्पना**

प्राचीन काल में कई निरंकुश राजतंत्र थे जो निरीह जनता का उत्पीड़न कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थें। कमजोर, क्षीण, शांतिप्रिय और चुपचाप रहने वाले लोगों ने मृत्यु, अभाव, यातना व बर्बरता तथा बर्बादी के रूप में अपने अधिकारों को इन निरंकुश राजतंत्रों द्वारा कुचलते देखा और खून का घूँट पीकर रह गए लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिरकार विद्रोह होने लगे। निरंकुश राजतंत्रों की गद्दी खिसकने लगी उनके दंभ चूर होने लगे तो मजबूरी में उन्हें लोगों को कुछ अधिकार देने पड़ें। ऐसे अधिकारों के प्रारम्भिक साक्ष्य 1215 ई0 में महत्वपूर्ण दस्तावेज, ''मैग्नाकार्टा'' अधिकार पत्र था जिसमें सर्वप्रथम मानवाधिकारों से सम्बन्धित उपबन्ध किये गये थे। यह मैग्नाकार्टा चार्टर विश्व इतिहास में मानवाधिकार के सम्बन्ध में प्रथम चार्टर कहा जा सकता है। इसी क्रम में 1689 ई0 में इंग्लैण्ड में ''बिल ऑफ राइट्स'' के जरिए भी कानून की दृष्टि में समानता निर्वाचन का अधिकार, प्रजातांत्रिक मूल्यों की घोषणा की गई तथा इंग्लैण्ड में ही ''बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम – 1679'' में भी मानव को न्याय प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया।

टामस पैनी सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में व्याप्त बैचेनी व अराजकता के कारणों का विश्लेषण कर अपनी ''मानव अधिकार'' नामक पुस्तक लिखी। उपरोक्त दार्शनिकों द्वारा फैलायी गयी जागरूकता का ही परिणाम था सन् 1776 का उत्तरी अमेरिका का स्वतन्त्रता संग्राम तथा फ्रांसीसी क्रांति (1789–1793)। इसकें बाद 1917 ई0 की रूसी क्रान्ति जिसमें ''मार्क्स'' के विचारों ने जनता को जागरूक किया था। ये सभी क्रान्तियाँ जनसाधारण के मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का ही परिणाम थी जिसके उपरांत मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किये गये।

मानवाधिकार की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी की प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रथम अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 में मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया जिसमें उन्होंने 4 मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व घोषण की थी– वाक स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, भय स्वतंत्रता गरीबी से मुक्ति ।मानवाधिकारों के हनन की इन सभी घटनाओं ने ही ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' की स्थापना के विचारों को जन्म दिया। और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ नेतृत्व में 25 अप्रैल जिसमें मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानवाधिकार बिल तैयार किया गया तथा सभी आजाद देशों ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया। 1946 ई0 में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तथा 10 दिसम्बर 1948 ई0 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार विमर्श कर 'अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल' को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव संख्या 270 (3) निर्गत करते हुए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जिसमें मानवाधिकारों को 30 अनुच्छेदों में बांटकर वर्णित किया गया है। 10 दिसम्बर 1948 की सार्वभौमिक घोषणा के कारण ही प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 53 देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं।

भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चार्टर पर 10 अप्रैल 1979 को हस्ताक्षर करके मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। तथा 1993 में मानवाधिकार अधिनियम को पारित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जिसने देश के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रयास किये हैं तथा मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को की गयी सार्वभौमिक घोषणा को आजादी, न्याय, शांति तथा लोक तांत्रिक अधिकार व समानता की आधार शिला माना गया है। इस सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेदों में मानव अधिकारो तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के विषय में विस्तृत उल्लेख किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

अनुच्छेद–1 : इसमे मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दर्शन को स्वीकृत किया गया है।

अनुच्छेद–2 से 15 : इसमें जीवन स्वतंत्रता, व्यक्ति की संरचना तथा विधि के समक्ष समानता आदि का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद–16 : इसमें वयस्क पुरूषों तथा स्त्रियों को बिना राष्ट्रीयता तथा धर्म के भेदभाव करने तथा कुटुम्ब स्थापित करने के अधिकारों का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद–17 : प्रत्येक को अपने आय तथा सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है।

अनुच्छेद–18 से 19 : इसमें धर्म मत तथा विचारों की अभिव्यक्ति के विषय में स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

अनुच्छेद–22 से 26 : इसमें मनुष्यों के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों का वर्णन किया गया हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गयी है।

अनुच्छेद–27 : प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय की सांस्कृतिक जीवन–कला तथा वैज्ञानिक प्रगति की क्रिया में स्वतन्त्रतापूर्ण भागीदारी का अधिकार है।

अनुच्छेद–28: प्रत्येक को एक ऐसे सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में दर्ज अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं को प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद–29 : इसमें व्यक्तियों के समाज सम्बन्धी कर्तव्यों का वर्णन है।

अनुच्छेद–30 : इसमें व्याख्या से सम्बन्धित नियमों का वर्णन है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद निम्नलिखित समझौतों को स्वीकार करके मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रयत्नों को उचित दिशा तथा शक्ति देने का प्रयास किया गया–

1. नरसंहार के अपराध को रोकने तथा सजा देने से सम्बन्धित समझौता (1948)
2. स्त्रियों के राजनीतिज्ञ अधिकारों पर प्रतिज्ञा पत्र (1952)
3. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र (1966)

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापक प्रयासों के बावजूद भी मानवाधिकार हनन की घटनाएँ जारी हैं।

**भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार –**

भारत एक प्राचीन सभ्य, सहिष्णु और संस्कृति सम्पन्न राष्ट्र है। ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की भावना से ओत–प्रोत इस देश की संस्कृति मानव–मात्र के कल्याण की भावना रखने वाली रही है। हमारी संस्कृति में मानवाधिकारों की रक्षा का स्थान सदैव से ही महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक काल से ही भारतीय इतिहास मानवाधिकारों का संरक्षक रहा है। सदियो से हमारी भावना '' सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयाः'' की रही है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान वेत्ताओं ने भारतीय संविधान के भाग–3 तथा भाग–4 में ''मूल अधिकारों और राज्य के नीतिनिदेशक तत्वों'' के रूप में मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाले अधिकार व कर्तव्यों का प्रावधान किया।

भारत के संविधान के भाग–3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। तथा भाग – 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है।

भाग – 3 मौलिक अधिकार (अनु0 12 से 36 तक)

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक)

अनुच्छेद – 14 : विधि के समक्ष समता का अधिकार।

अनुच्छेद–15 : राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद–16: धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, वंशक्रम तथा जन्म स्थान के आधार पर लोक सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद–17 : अस्पृश्यता का अन्त।

अनुच्छेद–18 : उपाधियों का अन्त। किन्तु शिक्षा एवं सेना में उपाधियाँ दी जा सकती हैं।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22 तक)

अनुच्छेद–19 : वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद–20 : अपराधों के लिए दोष सिद्ध के सम्बन्ध में संरक्षण ।

अनुच्छेद–21 : प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार।

अनुच्छेद–22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद–23 से 24 तक)

अनुच्छेद–23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है।

अनुच्छेद–24 : 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खतरनाक स्थानों पर नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद–25 से 28 तक)

अनुच्छेद–25 : अन्तःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतन्त्रता,

अनुच्छेद–26 : धार्मिक कार्यो के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद–27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद–28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतन्त्रता ।

5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद–29 से 30 तक)

अनुच्छेद–29 : अल्पसंख्यक वर्गो के हितों का संरक्षण।

अनुच्छेद–30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद–32)

अनुच्छेद–32 : यह नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्यविधियों को प्रतिपादित करता है। यदि किसी नागरिक को प्रदत्त मूल अधिकारों का राज्य क्रियाओं से प्रकट किसी प्रकार का अतिक्रमण (उल्लंघन) होता है तो प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए नागरिकों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण लेने का अधिकार प्रदान करता है इन अधिकारों को प्रदान करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित पांच प्रकार के अभिलेख (रिट) जारी कर सकते हैं–

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. प्रतिषेद
4. उत्प्रेषण
5. अधिकार पृच्छा।

**उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के तहत दिये गये अधिकार–**

माननीय उच्चतम न्यायलय के विभिन्न मसलों में अपने निर्णयों के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में निम्न मानवीय अधिकारों को मान्यता दी है–

1. विधिक सहायता का अधिकार।
2. हथकड़ी के विरूद्ध अधिकार।
3. डॉक्टरी सहायता का अधिकार।
4. विदेश जाने का अधिकार।
5. बेड़ी लगाने के विरूद्ध अधिकार।
6. विलम्ब से फाँसी के विरूद्ध अधिकार।
7. अभिरक्षा में हिंसा के विरूद्ध अधिकार।
8. जानने का अधिकार।
9. आश्रय का अधिकार।
10. क्रूरता और अव्यवहारिक दण्ड के विरूद्ध अधिकार आदि।

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एवं कार्य–**

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इसमें एक अध्यक्ष तथा सात सदस्य होते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन से सम्बन्धित मामलें की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सिविल न्यायालय समझा जाता है।
यह आयोग निम्नलिखित कार्यो में से किसी अथवा सभी को करेगा।

(क) स्वप्रेरणा से अथवा पीड़ित व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी तरफ से, किसी अन्य व्यक्ति द्धारा याचिका प्रस्तुत करने पर लोक सेवक द्वारा

1. मानवाधिकारों के उल्लंघन अथवा उसके दुष्प्रेरण।
2. मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने की अपेक्षा।

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित मानवाधिकार के किसी आरोप में सम्बन्धित कार्यवाही में उसे न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।

(ग) राज्य सरकार को सूचित करते हुए अन्तःवासियों की जीवन दशा का अध्ययन करने हेतु राज्य सरकार के नियन्त्राधीन किसी ऐसी जेल अथवा संस्था जिसमें व्यक्तियों को चिकित्सा सुधार अथवा संरक्षण के प्रयोजनार्थ निरूद्ध किया जाता है अथवा रखा जाता है का निरीक्षण करना और उसके बारे में सुझाव देना।

(घ) संविधान अथवा तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु उपबन्धित संरक्षण के उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

(ड़) मानवाधिकारों के उपयोग को अवरूद्ध करने वाले आतंकवादी कार्यो की समीक्षा करना तथा उनके उपचार हेतु समुचित उपायों के बारे में सुझाव देना।

(च) मानवाधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों एवं अन्य लिखितों का अध्ययन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

(छ) मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोधन करना तथा शोधकार्य को प्रोत्साहित करना।

(ज) ऐसे अन्य कार्य जिसे वह मानवाधिकारों को प्रोन्नति हेतु आवश्यक समझें।

**निष्कर्ष**

मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते है चाहे उनका मूल वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आपश्यक है क्योंकि ये उनकी गरिमा तथा स्वतंत्रता के अनुरूप है तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए सहायक होते है तथा भौतिक व नैतिक विकास के लिए उपर्युक्त स्थिति प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता। मानव जाति के लिए मानव अधिकार का अत्यंत महत्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी–कभी मूल अधिकार भी कहा जाता है। मानव अधिकार को समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व के चहुमूखी विकास के लिए आवश्यक होने के कारण निश्चित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची


1. आई एण्ड अन्य1992 ह्यूमन राइट्स इन पर्सप्रेक्टिव, प्लूटो प्रेस, लंदन
2. सुधा रानी व श्रीवास्तव 2000 मानवाधिकार, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल
3. ईवांश 2001 द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स पर्सप्रेक्टिवः ए ग्लोबल एसेसमेंट, ब्लैकबेल लंदन
4. जोशी एण्ड अन्य 2003 ह्यूमन राइट्स एण्ड ड्यूटीज, ए0बी0 पब्लिकेशन, अजमेर
5. डा. जयराम 2003 मानवाधिकार
6. शिवदत्त शर्मा 2006 मानवाधिकार, प्रथम संस्करण विधि साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली,
7. डा. दुर्गादास बसु 2012 भारत का संविधान एक परिचयए एक्सिस नेक्सस गुड़गाव हरियाणा
8. डा. एस.के.कपूर 2013 भारत में मानवाधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी ,इलाहाबाद